संख्या-33/2018/1266/क0नि0प्र0/26-3-2018-13(163)/91

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
   समाज कल्याण,
   उ0प्र0 लखनऊ।
2. संबंधित जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित मुख्य विकास अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, **लखनऊः दिनांकः 16 अक्टूबर,2018**
समाज कल्याण विभाग

विषयः- **अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था का चयन शासनादेश संख्या-309/क0नि0प्र0/26-3-2008-13(163)/91 दिनांक 05 फरवरी,2008 में निर्धारित व्यवस्थानुसार किया जा रहा है।

2- प्रश्नगत योजना के संबंध में यह तथ्य संज्ञान में आया कि जनपद स्तर पर योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं का चयन समय से नहीं किया जा रहा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है और शासन द्वारा बार-बार स्मरण कराने के पश्चात् कतिपय जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों के कार्यदायी संस्थाओं के चयन की कार्यवाही की जाती है जिससे आवंटित धनराशि का समय से सदुपयोग न हो पाने के कारण जनपदों द्वारा धनराशि समर्पित कर दी जाती है,ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषक योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं।

3- अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त समाज कल्याण विभाग द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 से अग्रिम आदेशों तक ग्रामोदयोग विकास संस्थान, नवावगंज गोण्डा को नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

4- अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लाभार्थ निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की फांट एतद्द्वारा संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

5- प्रश्नगत योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशक,समाज कल्याण एवं शासन को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

6- इस संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-309/क0नि0प्र0/26-3-2008-13(163)/91 दिनांक 05 फरवरी,2008 एवं शासनादेश संख्या-923/क0नि0प्र0/26-3-2017-13(163)/91 दिनांक 18 अक्टूबर,2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-33/2018/1266(1)/क0नि0प्र0/26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2-संबंधित समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास),उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थियों/स्थल चयन शीघ्र करते हुए चयनित सूची उपरोक्त चयनित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने एवं योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित करें।

3-अध्यक्ष, ग्रामोद्दयोग विकास संस्थान, नवावगंज गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति वित्तीय वर्ष के अन्दर कराया जाना सुनिश्चित करें।

4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-33/2018/1266/क.नि.प्र./26-3-2018-13(163)/91

दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 का संलग्नक।

(नि:शुल्क बोरिंग हेतु वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की फांट)

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य	क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य
1	2	3	1	2	3
1.	अलीगढ़	150	25.	महाराजगंज	475
2.	मथुरा	150	26.	बस्ती	475
3.	मैनपुरी	150	27.	सन्त कबीर नगर	250
4.	एटा	150	28.	सिद्धार्थनगर	300
5.	बुलन्दशहर	100	29.	गोण्डा	650
6.	बरेली	150	30.	बलरामपुर	200
7.	शाहजहांपुर	250	31.	बहराइच	650
8.	पीलीभीत	250	32.	श्रावस्ती	100
9.	बदायूं	450	33.	आजमगढ़	200
10.	मुरादाबाद	450	34.	मऊ	250
11.	जे0पी0 नगर	300	35.	संभल	150
12.	रामपुर	200	36.	फैजाबाद	500
13.	बिजनौर	450	37.	अम्बेडकर नगर	100
14.	इलाहाबाद	50	38.	सुल्तानपुर	100
15.	कानपुर नगर	250	39.	बाराबंकी	300
16.	कानुपर देहात	250	40.	उन्नाव	200
17.	इटावा	50	41.	रायबरेली	250
18.	औरैया	200	42.	सीतापुर	400
19.	कन्नौज	200	43.	हरदोई	250
20.	गाजीपुर	200	44.	लखीमपुर खीरी	450
21.	जौनपुर	100	45.	कांशीराम नगर	100
22.	गोरखपुर	400	46.	फर्रूखाबाद	50
23.	देवरिया	50	47.	बलिया	200
24.	कुशीनगर	450		कुल योग-	12000

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।